न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 619 सन 2020/ऑन लाईन नम्बरः–2020/01066

अनवान :–

1. ईकबाल सिह पुत्र निरंजन सिह जाति जटसिख निवासी 16 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. साहबसिह पुत्र निरंजन सिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर जिला हनुमानढ।
2. गुरमेलसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 16 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जसपालसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 16 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 70/73 के खसरा न0 16 की 4.0480हैक में से 313/4048हिस्सा व रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.3660हैक मे से 536/1341 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कृषि भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर हुए परिवारिक समझौते के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा था वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष मे त्याग किया जाकर रोही मौजा मक्कासर में भूमि प्राप्त कर ली है जो उसके नाम दर्ज है वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 आपस में भाई है एवं एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को प्राप्त होने के कारण वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग कर मक्कासर में भूमि प्राप्त कर ली है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है जो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 70/73 के खसरा न0 16 की 4.0480हैक में से 313/4048हिस्सा व रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.3660हैक मे से 536/1341 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कृषि भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर हुए परिवारिक समझौते के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद भूमि में जो भी हक हिस्सा था वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष मे त्याग किया जाकर रोही मौजा मक्कासर में भूमि प्राप्त कर ली है जो उसके नाम दर्ज है वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 70/73 के खसरा न0 16 की 4.0480हैक में से 313/4048हिस्सा व रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.3660हैक मे से 536/1341 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवारर के सदस्य है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 आपस में भाई है एवं एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 को प्राप्त हुई थी वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की जा चुका है कि वाद भूमि में परिवारिक समझौते के अनुसार उसने अपने हकों का त्याग कर मक्कासर में भूमि प्राप्त कर ली है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है जो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। एक ही परिवार के सदस्य काश्त की सुविधा के अनुसार परिवारिक समझौता किया जाकर परिवारिक समझौते के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में आपसी सहमति से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

उपखण्ड अधिकारी
दोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 70/73 के खसरा न0 16 की 4.0480हैक भूमि में से 313/4048 हिस्सा व रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.3660हैक भूमि में से 536/1341 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ईकबाल सिह पुत्र निरंजन सिह जाति जटसिख निवासी 16 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 साहबसिह पुत्र निरंजन सिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर जिला हनुमानढ।
2. गुरमेलसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 16 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. जसपालसिह पुत्र निरंजनसिह जाति जटसिख निवासी चक 16 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 619 सन 2020 निर्णय दिनांक– 22/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 70/73 के खसरा न0 16 की 4.0480हैक भूमि में से 313/4048 हिस्सा व रोही मौजा चक 16 केएनएन के खाता संख्या 69/69 की कुल 1.3660हैक भूमि में से 536/1341 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner